कार्यालय-प्राचार्य
आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा
(अग्रणी महाविद्यालय) जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़
E-mail: govtpgcollege.kawardha@gmail.com
(अग्रणी महाविद्यालय)

कवर्धा, दिनांक-28/10/2024

//पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी सूचना//

कार्यालय कलेक्टर अदिवासी विकास कबीरधाम पत्र क्रमांक-2622/आजाक/पो.मै. ऑन.छात्र./2024-25 दिनांक-15/10/2024 के निर्देशानुसार सत्र् 2024-25 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु http://postmatricscholarship.cg.nic.in वेबसाईट पर ऑनलाईन पंजीयन प्रारंभ तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जा रही हैः-

क्र.	प्रकिया	निर्धारित तिथि
01.	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक-01.11.2024 से 31.12.2024 तक।
02.	हाईकापी के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर महाविद्यालय में जमा करने हेतु	दिनांक-01.11.2024 से 31.12.2024 तक।

ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न स्व-सत्यापित छायाप्रतियाँ :-

1. दसवीं एवं बारहवीं अंकसूची की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
2. सत्र 2023-24 में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
3. स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
4. आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (प्रमाण-पत्र जारी तिथि ....छःमाह से अधिक नहीं होने चाहिये)
5. महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/ प्रवेश शुल्क रसीद की स्व-सत्यापित छायाप्रति।
6. आधार कार्ड की स्व-सत्यापित छायाप्रति। (बैंक खाता, आधार से लिंक होना चाहिए)
7. बैंक पासबुक की स्व-सत्यापित छायाप्रति। (आधार सीडेड बैंक खाता नंबर को ही छात्रवृत्ति फॉर्म में प्रविष्ट करें।)
8. छात्रावास में निवास का प्रमाण पत्र की मूलप्रति। (छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के लिये)
9. अभिभावक का शपथ प्रमाण पत्र। (10 रू. के स्टॅाम्प में नोटरी द्वारा, जिसमें माता-पिता के वार्षिक आय तथा शासकीय सेवा में है या नहीं का उल्लेख हो)
10. फोटो। (ऑनलॉइन आवेदन की हार्डकापी में फोटो चस्पा करें)
11. PMFS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्ट करें।
12. वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का अनिवार्य रूप से OTR की प्रविष्ट ऑनलाईन आवेदन के पूर्व की जानी है। OTR की प्रविष्ट के संबंध में महाविद्यालय के सूचना पटल या महाविद्यालय के वेबसाईट का अवलोकन करें।
13. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावक का वार्षिक आय 250000/-और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावक का वार्षिक आय 100000/- से अधिक नहीं होने चाहिये।

Principal / प्राचार्य
Govt College Kawardha
Dist.-Kabirdham (C.G.)